# Supporting Document (Maintenance Policy University Level)

| | |
|---|---|
| **Criteria** | **Criterion 4 – Infrastructure and Learning Resources** |
| **Key Indicator** | **4.4 Maintenance of Campus Infrastructure** |
| **Metric 4.4.2** | ***There are established systems and procedures for maintaining and utilising physical, academic and support facilities - laboratory, library, sports complex, computers, classrooms etc.*** |

## Index


| S No | Content | Page Number | Description |
|---|---|---|---|
| **1** | **Maintenance Policy University Level** | **Pages 1-6** | **Comprehensive Maintenance Policy of the University** |

# VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY JAUNPUR (UP)

# MAINTENANCE POLICY

Made with PosterMyWall.com

# विश्वविद्यालय परिसर में भवनों का अनुरक्षण संबंधी नीति/निर्देश

विश्वविद्यालय परिसर के सिविल कार्य के अंतर्गत मरम्मत या रख–रखाव/अनुरक्षण को सामान्य प्रयोग में भवन तथा कार्य को समुचित स्थिति में बनाये रखने के लिए अपेक्षित सभी संकिक्रयाओं को शामिल किया जायेगा । सिविल कार्य मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित हैं:–

(I) मूल कार्य में सभी नये निर्माण, चाहे वे पूर्णतः नये कार्य हों

(II) विस्तारीकरण विस्तारीकरण के अन्तर्गत पूर्व निर्मित भवन की कार्य क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत भवन परिसर/उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कर मूल भवन में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया की जाय, जो विस्तारीकरण के अन्तर्गत माना जायेगा।

(III) अनुरक्षण कार्य तीन प्रकार के होते है।: प्रथम वे, जो व्यवस्थापन के मामले के रूप मे आवधिक रूप से कार्यान्यवित किये जाते हैं तथा जो समय पर सामान्यतया उसी प्रकार की मात्रा में होते हैं, जैसे भवनों में पेंटिंग एवं डिस्टेम्पिरिंग तथा वाइट वाशिंग करना या सड़क पर गिट्टी की तह चढ़ाना। दूसरे वे, जो व्यवस्थापन के मामले के रूप में आवधिक रूप से कार्यान्यवित नहीं किये जाते हैं, किन्तु जिनको आवधिक मरम्मत के समय कार्यान्यवित करना, जब आवश्यक हो, सुविधाजनक है, तथा तीसरे एसे अवसरिक या तुच्छ मरम्मत, जो समय–समय पर आवश्यक हो, तथा जिसे आवधिक मरम्मत के समयों के मध्य कार्यान्यवित किया जाता है।

(1) विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों की मरम्मतों को 3 शीर्ष के अधीन वर्गीकृत किया गया है:–

(क) वार्षिक मरम्मत, जिसमें कार्य की ऐसी मदें शामिल हैं, जो प्रति वर्ष की जाती हैं, जैसे सफेदी अथवा दीवार की सतहों को सुधारना तथा छतों में लीकों की मरम्मत करना।

(ख) चर्तुवार्षिक मरम्मतें,जिसमें कार्य की ऐसी मदें शामिल हैं, जो 4 वर्ष में एक बार की जाने के लिए आवश्यक होती है, जैसे दरवाजों की पेंटिंग और वार्निश करना अथवा सड़कों की मरम्मत करना।

(ग) विशेष मरम्मतें अथवा वे मरम्मतें, जो नियमित अंतरालों पर नहीं होती हैं, वरन मुख्य रूप से निर्माण का नवीनीकरण होती है। मुख्यतया संरचना का नवीनीकरण होने के कारण नियमित अंतराल पर होती है।

(2) विश्वविद्यालय के अनावासीय तथा किराया मुक्त भवनों की मरम्मतों को दो शीर्षो के अधीन वर्गीकृत किया गया है:

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur



1

(क) **वार्षिक मरम्मतें**, जिसमें कार्य की ऐसी मदें शामिल हैं, जो उपर (क) में निर्दिष्ट की गयी हैं।

(ख) **विशेष मरम्मतें**, जिसमें ऐसी मरम्मतें शामिल हैं, जो उपर (ख) और (ग) में निर्दिष्ट की गयी हैं।

**विश्वविद्यालय के अनुरक्षण कार्यों के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सम्मिलित हैं तथा कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

| क्र0सं0 | भवन/भवनों का समूह | कार्यों की सूची | अनुरक्षण कार्य हेतु सम्भावित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | (1) सफेदी पुताई<br>(2) रंगपुताई<br>(3) डिस्टेम्बर<br>(4) वर्षा के दौरान छत मरम्मत (प्रीकोवा आदि)<br>(5) फर्श की मरम्मत<br>(6) ईंट कार्य की मरम्मत<br>(7) दीवारों पर प्लास्टर की मरम्मत<br>(8) ईट कार्य की टीपकारी की मरम्मत<br>(9) दरवाजों तथा खिड़कियों पर तेल लगाना तथा सफाई करना<br>(10) दरवाजों तथा खिड़कियों को ढीला करना<br>(11) शीशों, जाली, कब्जा, सिटकिनी, खिड़की इत्यादि के बदलने को शामिल करके दरवाजों तथा खिड़कियों की मरम्मत<br>(12) पंखों को लटकाना तथा उतारना<br>(13) पंखे की मरम्मत<br>(14) रोशनदान खिड़कियों के लिए पंखा, रस्सी, पट्टा तथा डोरी को बदलना<br>(15) बाड़ की मरम्मत<br>(16) जल संस्थापन की मरम्मत/नालियों की मरम्मत का कार्य<br>(17) सफाई संस्थापन की मरम्मत<br>(18) सागौन की लकड़ी के दरवाजे तथा खिड़कियों की मरम्मत/लोहे की आलमारी/लकड़ी आलमारी की मरम्मत | |

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur



2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (19) साल की लकडी/देसी लकडी के दरवाजे तथा खिडकियों की मरम्मत।<br>(20) मोजैक फर्श की सफाई।<br>(21) रंगाई तथा वार्निश की पुताई<br>(22) छज्जेदार की मरम्मत।<br>(23) शौचालय की मरम्मत।<br>(25) दरवाजे की मरम्मत तथा सरल बनाना।<br>(26) चाहरदीवारी की मरम्मत।<br>(27) आकस्मिक मरम्मत कार्य।<br>(28) रसोई घर की मरम्मत।<br>(29) जल निर्गमन की पाईपों को बदलना/मरम्मत।<br>(30) विद्युत वायरिंग की मरम्मत कार्य।<br>(31) नालियों की मरम्मत।<br>(32) मेज की मरम्मत।<br>(33) एयर कंडिशन उपकरणों की मरम्मत को विशिष्ट उपकरणों की मरम्मत की श्रेणी में रखा जायेगा।<br>(34) विद्युत उपकरणों की स्विच आदि की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन।<br>(35) पंखा तथा तार आपूर्ति को विशेष श्रेणी में रखना।<br>(36) तीन प्रावस्था परिपथ(Three Phase Circit) तथा 220 बोल्ट से अधिक बोल्टेज को अंतग्रस्त करने वाले सभी विद्युत अधिष्ठापन कार्य।<br>(37) फर्श की टूटी टाइल्स का प्रतिस्थापन।<br>(38) सीवेज टैंक की मरम्मत।<br>(39) कार्य की आवश्यकतानुसार मरम्मत की अन्य मदें दीमक ट्रीटमेंट सुविधानुसार जोड़ी जा सकती हैं। | |

**उपरोक्त नियम/निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में कराये जा रहे अनुरक्षण <u>कार्यों का विवरण</u>**

1. विश्वविद्यालय के भवनों के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, मच्छर जाली, एल्ड्राप, सिटकनी, कच्चा शीशा इत्यादि का वार्षिक अनुरक्षण किये जाने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय परिसर क्षारीय भूमि पर अवस्थित है जिसके कारण भवनों में लोना लगने से भवन के प्लास्टर एवं रंगाई–पुताई का क्षरण तेजी से होता है। इसलिए प्लास्टर इत्यादि की मरम्मत एवं रंगाई–पुताई लोक निमार्ण विभाग की अनुरक्षण नीति के अनुसार चार वर्ष की अवधि से एक वर्ष घटाते हुए तीन वर्ष के अन्तराल पर कराये जाने की व्यवस्था है।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur



3

2. विश्वविद्यालय के भवनों की छत पर वर्षा ऋतु से पूर्व साफ–सफाई एवं वर्षा जल निकासी और छत की ऊपरी सतह पर आये क्रेक्स, सीलन आदि की वार्षिक मरम्मत की जाने की व्यवस्था है।

3. विश्वविद्यालय के भवनों की छतों पर जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रखी गयी टंकियों के लीकेज, सीपेज, साफ–सफाई आदि की जांच एवं मरम्मत नियमित अन्तराल पर किये जाने की व्यवस्था है।

4. विश्वविद्यालय परिसर में जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बिछाई गयी अन्डरग्राउण्ड पाईप लाइन एवं उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के साथ–साथ शौचालय के फ्लश सिस्टम, कमोड, वाशवेसिन आदि में लीकेज व सीपेज एवं सम्बन्धित अन्य कार्यों की जांच एवं मरम्मत नियमित अन्तराल पर कराये जाने की व्यवस्था है।

5. विश्वविद्यालय के सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट, ड्रेनज, नाली आदि का निरीक्षण एवं साफ–सफाई 3 माह के नियमित अन्तराल पर कराये जाने की व्यवस्था है।

6. विश्वविद्यालय परिसर में विद्युतीकरण से सम्बन्धित उपकरण की जांच एवं मरम्मत समय–समय पर आवश्यकतानुसार कराये जाने की व्यवस्था है।

7. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित किये जाने के साथ–साथ अतिविशिष्ट अतिथियों का जैसेः– प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण का आगमन वर्ष भर होता रहता है। उक्त के दृष्टिगत अतिथि गृह, शिक्षक अतिथि गृह, चान्सलर सुइट, संगोष्ठी भवन एवं कार्यक्रम स्थल और एकलव्य स्टेडियम तथा हेलीपैड के मरम्मत की विशेष व्यवस्था की गयी है।

8. विश्वविद्यालय परिसर स्थित समस्त भवनों को जोड़ने हेतु लेपित मार्गो का अनुरक्षण लो0नि0वि0 के अनुरक्षण मैनुअल के अनुसार नियमित चार वर्ष के अन्तराल पर कराये जाने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने हेतु साइनबोर्ड, कासनबोर्ड, स्ट्रीटलाइट, पुल–पुलियों की साफ–सफाई एवं मार्ग के दोनों तरफ फुटपाथ की निगरानी नियमित अन्तराल पर की जाती है और तद्नुसार आवश्यकता को देखते हुए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है।

9. विश्वविद्यालय परिसर की साज–सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पार्क, तालाब, सरोवर, मंदिर, महापुरुषों की मूर्तियां छतरी सहित, फव्वारे आदि की साफ–सफाई एवं मरम्मत नियमित अन्तराल पर आवश्यकतानुसार किये जाने की व्यवस्था है।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur


4

10. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न उद्यान एवं पार्क आदि की बागवानी का कार्य जैसेः– झाडियों की कटिंग, घास की कटिंग, सीजनल फूल–पौधों को मौसम के अनुसार लगाये जाना, क्यारियों एवं गमलों में फूल पौधों के रोपण, निराई–गुडाई इत्यादि नियमित रूप से किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

11. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा के दृष्टिगत बाउन्ड्रीवाल एवं उस पर ग्रिल व कटीले तार लगाये गये हैं जिसकी समय–समय पर जांच किये जाने एवं तदनुसार रंगाई–पुताई एवं मरम्मत कराये जाने की व्यवस्था है।

12. विश्वविद्यालय परिसर वाहनों के पार्किंग हेतु स्थापित पार्किंग शेड एवं पार्किंग स्थलों की मरम्मत चार वर्षों के नियमित अन्तराल पर कराये जाने की व्यवस्था है।

13. विश्वविद्यालय के उपकरणों जैसेः–पंखा, कूलर, ए0सी0, वाटरकूलर, आर0ओ0सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर, जेनसेट, वाहन, फर्नीचर इत्यादि का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण एवं तदनुसार अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

14. विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग द्वारा कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, प्रिंटर्स एवं वैज्ञानिक उपकरणों आदि का नियमित अन्तराल पर (उपकरणों के मैनुअल के अनुसार) अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था है।

15. उपर्युक्त के अतिरिक्त आकस्मिक आवश्यकता के दृष्टिगत वरीयता के आधार पर अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य समय–समय पर कराये जाने की भी व्यवस्था हैं।

प्रभारी
विकास/अनुरक्षण
अनुभाग

(एम0के0 चतुर्वेदी)
सहायक अभियन्ता (सिविल)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ0प्र0)

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur



5